

प्रेस नोट

दिनांक 01.04.2024, थाना को0 तरबगंज

जनपद गोण्डा।

थाना तरबगंज द्वारा जानलेवा हमला करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद गोण्डा में अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना को0तरबगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-144/2024 धारा 307,504, 506, 324 भादवि से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त शशांक पाण्डेय उर्फ संजीव पाण्डेय को सी0एच0सी0 बेलसर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी मोहम्मद हबीब पुत्र मो0 सलीम निवासी बेलसर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 तरबगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 31.03.2024 को विपक्षी हमारे पिता जी को जान से मारने के नियत से गले ब्लेड से मार दिया है जिससे गले पर काफी चोटे आयी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना को0 तरबगंज में मु0अ0सं0-144/2024 धारा 307,504, 506, 324 भादवि बनाम शशांक पाण्डेय उर्फ संजीव पाण्डेय के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था आज दिनांक 01.04.2024 को नामजद अभियुक्त शशांक पाण्डेय उर्फ संजीव पाण्डेय पुत्र स्व0 बृज किशोर पाण्डेय निवासी चाँदपुर थाना तरबगंज, जनपद गोण्डा को सी0एच0सी0 बेलसर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना को0 तरबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. शशांक पाण्डेय उर्फ संजीव पाण्डेय पुत्र स्व0 बृज किशोर पाण्डेय निवासी चाँदपुर थाना तरबगंज, जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-144/2024 धारा 307,504, 506, 324 भादवि थाना को0 तरबगंज जनपद- गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 सुनील कुमार तिवारी

02. का0 राजेश जायसवाल

03. का0 अमित कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 01.04.2024, थाना नवाबगंज
जनपद गोण्डा

थाना धानेपुर पुलिस द्वारा गला दबाकर निर्मम हत्या करने का मुख्य आरोपी अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार,

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा के नेतृत्व में गठित थाना धानेपुर पुलिस टीम द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत मु0अ0स0-95/2024, धारा 302 भादवि से सम्बन्धित प्रकाश में आया मुख्य आरोपी अभियुक्ता रीता पत्नी अर्जुन निषाद पुत्री पंचम निषाद निवासी बल्दुपुरवा मौजा उज्जैनीकला थाना धानेपुर जनपद गोण्डा को नौडिहवा मोड़ नाले के पास रामनगर दतौली रोड़ से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी तिलकराम निषाद पुत्र रामचरन निवासी ग्राम पार्वती थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा ने थाना धानेपुर को सूचना दिया कि मेरा लड़का अपने बुआ के घर जाने के लिए दिनांक 28.03.2024 निकला था है। दिनांक 29.03.2024 को मुझे सूचना मिली की दूबेपुरवा बलुहा घाट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा में मेरे लड़के की लाश पड़ी है। उक्त सूचना पर थाना धानेपुर पर मु0अ0स0-95/2024, धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना को गम्भीरता से लेते हुए तत्काल पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल व अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत द्वारा स्वाट/सर्विलांस, डाग स्क्वाड, फील्ड यूनिट टीम के साथ मौके पर पहुँचकर घटना स्थल निरीक्षण किया गया। महोदय द्वारा 03 टीमों का गठन कर घटना का जल्द से जल्द सफल अनावरण व घटना में संलिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक धानेपुर को निर्देशित किया गया था। आज दिनांक 31.03.2024 को थाना धानेपुर पुलिस टीम द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरान्त घटना में प्रकाश में आया मुख्य आरोपी अभियुक्ता रीता पत्नी अर्जुन निषाद पुत्री पंचम निषाद निवासी बल्दुपुरवा मौजा उज्जैनीकला थाना धानेपुर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना धानेपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्ता द्वारा बताया गया कि सूरज मेरे रिस्तेदारी में आता है, मेरा उसके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था सूरज ही मेरा खाना खर्चा भी चलाता था। जिसके कारण पति के साथ अच्छे सम्बन्ध नहीं थे। कुछ दिनों से सूरज मेरे उपर दबाव बनाने लगा कि उसके मर्जी के बिना कहीं आना जाना नहीं है यदि मैं कहीं चली जाती थी तो वह मेरे साथ गाली -गलौज करता था। मेरा खर्च उठाना भी बन्द कर दिया। जिससे तंग आकर उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी दिनांक 28.03.2024 को सूरज फोन किया की मुझसे मिलने आ रहा है। उसके साथ मैं मोटरसाइकिल पर बैठकर सागौन की बाग में गयी। सूरज काफी नशे में था बातचीत के दौरान दुपट्टा से उसको पेड़ में बांध दिया। तथा रबड़ की रस्सी से गला कस दिया था। जिससे सूरज की मृत्यु हो गयी।

गिरफ्तार अभियुक्ता-

01. रीता पत्नी अर्जुन निषाद पुत्री पंचम निषाद निवासी बल्दुपुरवा मौजा उज्जैनीकला थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0-95/2024, धारा 302 भादवि थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी:

01. 01 अदद मोबाइल फोन बरामदा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. प्र0नि0 वेद प्रकाश शुक्ला थाना धानेपुर गोण्डा।

02. उ0नि0 विरेन्द्र प्रसाद पाल

03. हे0का0 अशोक यादव

04. हे0का0 आनन्द प्रकाश यादव

05. हे0का0 फहीमुद्दीन खाँ

06. म0का0 लाजवन्ती

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 01.04.2024, थाना परसपुर
जनपद गोण्डा।

थाना परसपुर पुलिस द्वारा हत्या करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार,

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी करनैलगंज श्री चन्द्रपाल शर्मा के नेतृत्व में गठित थाना परसपुर पुलिस टीम द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत मु0अ0स0-120/2024, धारा 304, 201, 406 भादवि से सम्बन्धित 02 नामजद आरोपी अभियुक्त 01. फकीरे यादव व 02. विनोद यादव को गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी दिनेश कुमार यादव पुत्र स्व0 साहब सरन यादव निवासी ग्राम शिवगढ़ थाना परसपुर जनपद गोण्डा द्वारा थाना परसपुर को सूचना दिया कि मेरे पिता की लाश मेरे घर से करीब 700 मीटर की दूरी पर कब्रिस्तान के पास पड़ी हुई। जिनके शरीर पर जगह जगह काफी चोटों के निशान हैं। उक्त सूचना पर थाना परसपुर पर मु0अ0स0-120/2024, धारा 302, 201, 406 भादवि बनाम 01. फकीरे यादव 02. विनोद यादव के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना को गम्भीरता से लेते हुए तत्काल पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल व अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय द्वारा स्वाट/सर्विलांस, डाग स्व्वायड, फील्ड यूनिट टीम के साथ मौके पर पहुँचकर घटना स्थल निरीक्षण किया गया। महोदय द्वारा टीमों का गठन कर घटना का जल्द से जल्द सफल अनावरण व घटना में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक परसपुर को निर्देशित किया गया था। विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग में धारा 302 को 304 भादवि में तरमीम किया गया। आज दिनांक 01.04.2024 को थाना परसपुर पुलिस टीम द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरान्त घटना में संलिप्त नामजद आरोपी अभियुक्त 01. फकीरे यादव, 02. विनोद यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना परसपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. फकीरे यादव पुत्र रामबक्श निवासी ग्राम मठहनपुरवा मौजा शिवगढ़ थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
02. विनोद यादव पुत्र फकीरे यादव निवासी ग्राम मठहनपुरवा मौजा शिवगढ़ थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0-120/2024, धारा 304, 201, 406 भादवि, थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी:

01. आलाकल्ल डन्डा बरामदा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. प्र0नि0 प्रदीप कुमार शुक्ला

02. व0उ0नि0 सभाजीत सिंह

03. का0 रंजीत कुमार

मीडिया सेल, गोणडा।

प्रेस नोट

दिनांक 01.04.2024, मीडिया सेल

जनपद गोण्डा।

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 21 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

04 वारंटी अभियुक्तगण गिरफ्तार-

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना कोतरबगंज पुलिस ने 02, थाना खरगूपुर पुलिस ने 01, थाना नवाबगंज पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय खाना कर दिया गया।

मीडिया सेल, गोण्डा।